


फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू
 दाउद अली बनाम इकराम अली
 : 144 / 2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
82/3/24	<p>पत्रावली आज दावे की पत्रावली के साथ तत्पक्ष की गई। पक्षी स्वयं उपज वकील पक्षी व स्वयं पक्षी के कटने व दावा विज्ञो होने से पक्षी का प्र.पत्र 212 RTI का विज्ञो (आरिज) किया जाता है। प्र.पत्र 212 RTI का आरिज होने से न्यायालय का स्थान आदेश दिनांक 12/6/2023 का पत्रावली हो गया। पत्रावली वाद तत्पक्षी शामिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर) </p>	